वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

वित्त समिति की 67 वीं बैठक

29 फरवरी, 2024

कार्यवाही विवरण

वित्त समिति की 67वीं बैठक दिनांक 29 फरवरी, 2024 समय 03:00 बजे विश्वविद्यालय के मुख्यालय स्थित कुलपति सचिवालय के समिति कक्ष में माननीय कुलपति महोदय डॉ. कैलाश सोडाणी की अध्यक्षता में (ऑफलाईन/ऑनलाईन) आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

1.	डॉ. कैलाश सोड़ाणी कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	अध्यक्ष
2.	श्रीमति उर्मिला राजोरिया, संभागीय आयुक्त, कोटा प्रतिनिधि (प्रमुख शासन सचिव) वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
3.	डॉ. सतीश कुमार सैन, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा प्रतिनिधि (शासन सचिव, उच्च शिक्षा)	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
4.	प्रो0 एन0के0 पाण्डेय, हिन्दी विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
5.	प्रो. बी अरूण कुमार, सदस्य, प्रबंध मण्डल एवं निदेशक सं. यो. एवं वि. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा	सदस्य
6	डॉ0 दिलीप कुमार शर्मा, निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, वमखुवि, जयपुर	सदस्य
7.	श्री के.के. गोयल कुलसचिव	विशेष आमंत्रित (ऑनलाईन उपस्थित)

8 श्री महेश चन्द मीणा
नियंत्रक (वित्त) सचिव
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति के सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा संभागीय आयुक्त महोदया एवं नवनियुक्त सदस्यगण का विशेष स्वागत करते हुए बैठक प्रारंभ करने के लिए वित्त समिति के सचिव (नियंत्रक, वित्त) को निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात् नियंत्रक वित्त द्वारा कार्यसूची विवरण प्रस्तुत किया गया एवं निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

बिन्दु सं. 67/1 : वित्त समिति की दिनांक 27.06.2023 को सम्पन्न 66वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

–00–

वित्त समिति की 66वीं बैठक दिनांक 27.06.2023 को कुलपति सचिवालय में माननीय कुलपति महोदय डॉ. कैलाश सोड़ाणी, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय, कोटा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक कार्यवाही विवरण सभी माननीय सदस्यगण को ईमेल द्वारा प्रेषित किया गया। निर्धारित अवधि तक किसी भी सदस्य की आपत्ति प्राप्त न होने पर कार्यवाही विवरण जारी किया गया। उक्त कार्यवाही विवरण प्रबंध मण्डल की 106वीं बैठक (बिन्दु संख्या 106/05 पर) में अनुमोदित किया जा चुका है। अतः कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु सं. 67/2 : वित्त समिति की 66वीं बैठक दिनांक 27.06.2023 में लिये गये निर्णयों की पालना (Action Taken Report) के संबंध में।

–00–

वित्त समिति की दिनांक 29.02.2024 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निणयों की पालना के संबंध में नियत्रंक वित्त द्वारा सदन को अवगत कराया गया।

बिन्दु सं. 67/3 : विश्वविद्यालय की आय/प्राप्तियों के वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2024–25 के संभावित प्राप्ति अनुमान।

–00–

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये आय का अनुमान रुपये 11999.54 लाख रखा गया था, जिसके विरूद्ध दिनांक 31.01.2024 तक राशि रुपये 8448.76 लाख की आय/प्राप्तियां हुई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 की शेष अवधि में संभावित आय को दृष्टिगत रखते हुये राशि रुपये 11029.12 लाख का संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्राप्तियों में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि रुपये 900.00 लाख भी सम्मिलित है।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये संभावित आय/प्राप्ति के दृष्टिगत राशि रुपये 11700.00 लाख का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है जिसमें राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली आयोजना भिन्न मद में संभावित अनुदान राशि रुपये 1000.00 लाख समाहित है।

चर्चा उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।

बिन्दु सं. 67/4 : विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2023–24 के संशोधित व्यय अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 के व्यय अनुमान के संबंध मे

–00–

नियत्रंक वित्त द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये राशि रुपये 9923.15 लाख के व्यय का प्रावधान किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में दिनांक 31.01.2024 तक राशि रुपये 8717.78 लाख व्यय हो चुका है। अतः शेष अवधि में संभावित व्यय/समायोजन को दृष्टिगत रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये व्यय राशि रुपये 11029.12 लाख का संशोधित प्रावधान(RE) रखा जाना प्रस्तावित है।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये संभावित व्यय के मध्यनजर राशि रुपये 11268.25 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है जो वित्तीय वर्ष 2024–25 की संभावित प्राप्तियों/आय के सीमान्तर्गत है।

चर्चा उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।

बिन्दु सं. 67/05 : विश्वविद्यालय स्तर पर PTET परीक्षा 2024 हेतु खोले गये बचत खाते में प्राप्त होने वाली राशि के निवेश हेतु नियम निर्धारण के सबंध मे।

(लेखा एवं वित्त विभाग)

–00–

नियत्रंक वित्त ने सदन को अवगत कराया है कि राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा PTET परीक्षा–2024 की प्रवेश प्रकिया को पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय को दी गयी है जिस हेतु अनुभव एवं कार्य प्रणाली को देखते हुए ICICI Bank में खाता खुलवाया गया है। माननीय सदस्य संभागीय आयुक्त महोदया द्वारा पूछा गया कि क्या बैंक खाता खोले जाने हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। इस पर नियंत्रक वित्त द्वारा बताया गया कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओ से प्राप्त होने वाली आय के संबंध में वित्त (राजस्व) विभाग के परिपत्र दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु संख्या 2(1) के तहत प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा हेतु पृथक बैंक खाता खोले जाने का प्रावधान है उक्त प्रावधान के तहत ICICI Bank में खाता खुलवाया गया है। उक्त बैंक द्वारा गत 14 वर्षो से PTET परीक्षा के शुल्क संग्रहण का कार्य सफलता पूर्वक किया जा रहा है।

उक्त खाते में समय समय पर प्राप्त/जमा होने वाली राशि के सावधि जमा के रूप में निवेश हेतु खाता धारक बैंक एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–प.15(5)वि.मा./2012/पार्ट दिनांक 04.10.2021 एवं संख्या प.15(5)वि.मा./2012/पार्ट दिनांक 20.02.2022 द्वारा Empanelled राष्ट्रीयकृत बैंकों, शिड़यूल्ड़ प्राईवेट सेक्टर बैंकों हेतु अनुपात निर्धारण बाबत् प्रकरण समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

उक्त संबंध में की गई चर्चा में Rate of Interest की अपेक्षा निधि की सुरक्षा को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। अतः विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न अनुपात में निवेश का निर्णय लिया गया –

खाता धारक बैंक – 40%

Public Sector Banks – 40%

Private Sector Banks – 20%

वित्त विभाग द्वारा अधिकृत बैंकों में ही निवेश किये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं. 67/6 : विश्वविद्यालय में IT से संबन्धित सभी सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए विश्वविद्यालय में नये सर्वर की आवश्यकता हेतु ।

–00–

विश्वविद्यालय में IT से संबंधित सभी सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने हेतु लगभग 12–13 वर्ष पूर्व Dell Company के सर्वर क्रय किए गए थे | सर्वर की सामान्यतः End of life लगभग 12–13 वर्ष होती हैं | विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या में हो रही वृद्वि व नवीनतम सुविधाऐ उपलब्ध कराने हेतु Director, IT & EMPC द्वारा नया सर्वर जिसकी अनुमानित लागत 200.00 लाख रूपये है, के क्रय हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। माननीय सदस्यगण डॉ0 एन0 के0 पाण्डेय द्वारा सर्वर क्रय के औचित्य व Upgraded/latest वर्जन का सर्वर क्रय की सुनिश्चितता के संबंध में जानकारी चाही, जिसके क्रम में Director IT & EMPC द्वारा आवश्यक जानकारी दी गयी। उनके द्वारा वर्तमान सर्वर की क्षमता व स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताया साथ ही नवीन सर्वर के स्पेसिफिकेशन्स के बारे बताया। माननीय कुलपति महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि यह विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर आधारित है जिसमें विद्यार्थी के प्रवेश से लेकर अकंतालिका जारी किये जाने तक का संपूर्ण कार्य ऑनलाईन संपादित किया जाता है। विश्वविद्यालय को नैक (NAAC) द्वारा A ग्रेड़ प्रदान किये जाने के उपरान्त Computer Science एवं Library Science में Online Course प्रारम्भ किये जाने है। विद्यार्थियों को सुगम व त्वरित सेवा उपलब्ध करवाने हेतु latest वर्जन का नवीन सर्वर क्रय किया जाना अति आवश्यक है।

चर्चा उपरान्त उक्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।

बिन्दु सं. 67/7 : विश्वविद्यालय परिसर में निम्नलिखित विकास कार्य करवाये जाने हेतु ।

–00–

प्रभारी संपदा प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में निम्नलिखित विकास कार्य करवाया जाना प्रस्तावित किया गया है :–

1. ई.एम.पी.सी. भवन के सामने एक साईड में संविधान उद्यान की दीवार है, अतिथि–गृह वाली दूसरी साईड में दीवार बनाते हुए मिट्टी भराई का कार्य।
2. विश्वविद्यालय के अग्र भाग में निर्मित पार्किंग शैड (L-Shape) एवं सभागार भवन के पास तीन तरफ दीवार बनाते हुए मिट्टी भराई का कार्य। बीच में शेष स्थान पर मिट्टी भराई करवाते हुए लॉन लगवानें का कार्य।
3. ''संविधान उद्यान'' का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य में हॉर्टीकल्चर का कार्य सम्मिलित नहीं है। अतः उद्यान में मिट्टी भराई का कार्य करवाते हुए लॉन विकसित किये जाने का कार्य।
4. विज्ञान भवन, पुस्तकालय भवन की अप्रोच रोड एवं आवासीय परिसर में अप्रोच रोड के मध्य स्थित खाली भूमि पर मिट्टी भराई करवाते हुए लॉन विकसित किये जाने का कार्य।

उक्त कार्यो पर अनुमानित राशि रू0 17.44 लाख व्यय होने की संभावना है।

उक्त विकास कार्य करवाये जाने बाबत् समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी ।

बिन्दु सं. 67/08 : राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर द्वारा विश्वविद्यालय के विज्ञापन DIPR की दरों से दुगुनी दर पर प्रकाशित किये जाने का अनुमोदन ।

(Purchase)

–00–

नियत्रंक वित्त द्वारा जानकारी दी गयी कि पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा निविदा के माध्यम से अनुमोदित एजेंसी के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करवाये जा रहे थे किन्तु शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राज. सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प6(2)गृह/सम्पर्क/सचि./2002 दिनांक 16.03.2019 द्वारा वर्गीकृत व सजावटी विज्ञापन "राजस्थान संवाद" के माध्यम से प्रकाशित करवाये जाने का प्रावधान किये जाने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा भी "राजस्थान संवाद" के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करवाना प्रारंभ किया गया ।

राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर द्वारा वर्ष 2015 से दरों में संशोधन करते हुये विश्वविद्यालयों के विज्ञापन DIPR की दरों से दुगुनी दर पर प्रकाशित किये जा रहे है । इस विश्वविद्यालय के विज्ञापन भी दुगुनी दर पर प्रकाशित किये गये हैं। जिस पर स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2019–2020 में उक्त संबंध में आक्षेप लिया गया है । इस संबंध में दोनों समाचार पत्रों से DIPR की दरों पर विज्ञापन प्रकाशन बाबत अनुरोध किया गया किन्तु उनके द्वारा लिखित जानकारी दी गयी कि अन्य विश्वविद्यालयों के विज्ञापन भी DIPR की दरों से दुगुनी दरों पर ही प्रकाशित किये जा रहे है। उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों समाचार पत्र राज्य के लोकप्रिय व सर्वाधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्र है, अतः समुचित प्रचार–प्रसार हेतु उक्त समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाना अपेक्षित है ।

निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से भी इस बाबत वस्तुस्थिति/दर अनुमोदन की स्थिति से अवगत कराने व मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु कई बार पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया किन्तु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ । दूरभाष पर वार्ता किये जाने पर वित्तीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालयों के लिये दर निर्धारित नहीं की गई है, विश्वविद्यालय के स्तर पर ही दर निर्धारण किया जावे ।

अतः राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में DIPR द्वारा निर्धारित दरों से दुगुनी दरों पर विज्ञापन प्रकाशन की कार्यवाही का अनुमोदन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है ताकि ऑडिट आक्षेप का निस्तारण हो सके क्योकि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अनुपालना पर चर्चा के दौरान स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा परामर्श दिया गया है कि दुगुनी दरों पर प्रकाशन का अनुमोदन विश्वविद्यालय की संवैधानिक निकायों से करवाया जाना अपेक्षित है। परिपत्र क्रमांक प6(2)गृह/सम्पर्क/सचि./2002 दिनांक 16.03.2019 में भी उल्लेख है कि दरों का राज्य सरकार द्वारा निर्धारण किये जाने तक संस्था द्वारा अनुमोदित दरों पर विज्ञापन प्रकाशन करवाया जावे ।

संभागीय आयुक्त महोदया द्वारा विश्वविद्यालय के विज्ञापन भी DIPR की दरों पर प्रकाशित करवाने हेतु राज्य सरकार को पत्र भिजवाने तथा विज्ञापन व्यय Minimise करने का सुझाव दिया गया। विद्यार्थियों को इनरोलमेंट के उपरान्त सामान्य सूचना/जानकारी हेतु विज्ञापन नहीं दिया जावे। इस पर कुलपति महोदय द्वारा बताया गया कि विज्ञापन साईज कम करके व्यय में कमी की जा रही है तथा विद्यार्थी को प्रवेश के पश्चात् अन्य सभी सूचनाएँ जानकारी विश्वविद्यालय की बेवसाईट व एसएमएस के जर्ये दी जाती है।

माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि RTU में एजेंसी के माध्यम से प्रकाशन करवाया जा रहा है जिसके कारण विवि को छूट का लाभ मिल रहा है।

चर्चा के उपरान्त अब तक DIPR की दरों से दुगुनी दर पर विज्ञापन प्रकाशन की कार्यवाही का कार्योत्तर (Post Facto) अनुमोदन किये जाने व राजस्थान संवाद के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशन पर हो रहे व्यय और एजेंसी के माध्यम से प्रकाशन पर होने वाले व्यय का तुलनात्मक विवरण अंकित करते हुये राज्य सरकार को पत्र लिखे जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु सं. 67/09 : "आय के नवीन स्त्रोत व व्यय में कमी के उपाय" सुझाने हेतु गठित समिति की रिपोर्ट का अवलोकन व अनुमोदन।

(लेखा एवं वित्त विभाग)

—00—

नियंत्रक, वित्त द्वारा अवगत कराया गया कि जुलाई,2023 सत्र में विश्वविद्यालय को प्रवेश की अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण फीस प्राप्ति में कमी के कारण आय के नवीन स्त्रोत व व्यय में कमी के उपाय सुझाने हेतु माननीय कुलपति महोदय के

अनुमोदन उपरान्त कार्यालय आदेश क्रमांक 3514 दिनांक 02.12.2023 द्वारा समिति गठित की गई। समिति द्वारा 03.02.2023 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है , जो समिति के समक्ष अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार माननीय सदस्य प्रो0 बी0 अरूण कुमार जो उक्त समिति के सदस्य भी हैं, द्वारा रिपोर्ट के बिन्दुओं की जानकारी समिति को दी गयी। समिति के सुझावों के क्रम में माननीय कुलपति महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि सीएसआर (CSR) के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक से संत सुधासागर सभागार एवं क्षेत्रीय केन्द्र जयपुर, उदयपुर एवं भरतपुर के भवनों पर सोलर पैनल लगवाने की सहमति प्राप्त कर ली गई है। इसी प्रकार आरकेसीएल से RS-CIT परीक्षा आयोजन के लिये प्रति परीक्षार्थी राशि में 50/–रूपये की वृद्धि करवा ली गई है जो नवीन अनुबंध से प्रभावी हो जावेगी । विचार– विमर्श के उपरान्त रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया तथा निम्ननानुसार कार्यवाही किये जाने का सुझाव दिये गये–

1.परिसर में स्थित संत सुधासागर सभागार, गेस्ट हाउस व अन्य भवनों एवं स्थलों के बाह्य उपायोग हेतु किराया निर्धारण बाबत कमेटी गठन किया जावे जो एक माह में अपनी रिपोर्ट माननीय कुलपति महोदय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । कमेटी गठन हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।

2. संत सुधासागर सभागार को उपयोग योग्य बनाने हेतु आवश्यक आंतरिक सज्जा करवाने बाबत सैद्धान्तिक सहमति दी गई ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव

वि.स.क्र. 67/10(1): **विश्वविद्यालय कार्य (शैक्षणिक/प्रशासनिक) हेतु आमंत्रित किये जाने वाले बाह्य सदस्य (क्षिक्षक/अधिकारी) को 2000/–रूपये प्रतिदिन की दर से मानदेय**

(क्षेत्रीय सेवाएं प्रभाग)

–00–

नियंत्रक, वित्त द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के नवीन अध्ययन केन्द्र खोलने बाबत गठित की जाने वाली निरीक्षण समिति के बाहय सदस्यों को अभी तक 1500/- रू0 मानदेय एवं नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जाता रहा है। उक्त मानदेय को 2000/–रूपये प्रतिदिन किये जाने बाबत प्रस्ताव निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएँ प्रभाग से प्राप्त हुआ है।
माननीय कुलपति महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों में एफिलियेशन संबंधी निरीक्षण के लिये बाह्य सदस्यों को 2000/–रूपये प्रतिदिन की दर से मानदेय दिया जाता है।

विचार–विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय कार्य (शैक्षणिक/प्रशासनिक) हेतु आमंत्रित किये जाने वाले बाह्य सदस्य (शिक्षक/अधिकारी) को 2000/–रूपये प्रतिदिन की दर से मानदेय तथा नियमानुसार यात्रा भत्ता दिये जाने का निर्णय लिया गया।

वि.स.क्र. 67/10(2): **विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियो को प्रेषित पाठ्य सामग्री अपरिहार्य कारणो से वापस प्राप्त होने पर डाक शुल्क राशि रूपये 200/– प्राप्त करते हुए पुनः भिजवाये जाने के संबंध में।**

(MP&D)

–00–

विश्वविद्यालय में प्रवेशित छात्रो को पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग (MP&D) द्वारा पाठ्य सामग्री प्रेषित की जाती है। प्रेषित पाठ्य सामग्री गलत पते के कारण या अपरिहार्य कारणों से वापस विभाग को प्राप्त होने पर छात्र को पुनः पुस्तके भिजवाने का डाक व्यय शुल्क राशि रुपये 200/– प्राप्त कर विधार्थी को उसके द्वारा बताये गये सही पते पर पुनः पुस्तके प्रेषित करने बाबत MP&D द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को चर्चा उपरान्त अनुमोदित किया गया ।

वि.स.क्र. 67/10(3): **परीक्षा केन्द्रों से मुख्यालय पर प्राप्त होने वाली उत्तर पुस्तिकाओं का व्यवस्थित संधारण, मूल्याँकन और पुनर्मूल्याँकन हेतु विषय–वार छटनी, कोडिंग और डी–कोडिंग कार्य को आउटसोर्स करने की स्वीकृति बाबत।**

(परीक्षा विभाग)

–00–

परीक्षा केन्द्रों से मुख्यालय पर प्राप्त होने वाली उत्तर पुस्तिकाओं के व्यवस्थित संधारण, मूल्याँकन और पुनर्मूल्याँकन हेतु विषय–वार छटनी, कोडिंग और डी–कोडिंग संबंधी कार्य को आउटसोर्स करने बाबत विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में प्रो0 बी0 अरूण कुमार जो परीक्षा नियंत्रक भी हैं, द्वारा समिति को प्रस्ताव के औचित्य संबंधी जानकारी दी गयी ।

उनके द्वारा बताया गया कि मुख्यालय स्थित परीक्षा विभाग में दिनोदिन कर्मचारियों की संख्या सेवानिवृति के कारण घट रही है जबकि परीक्षाओं में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ रही है। इसके साथ ही सत्रांत परीक्षा के अतिरिक्त अन्य परीक्षाओं के आयोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है जिसके कारण परीक्षा विभाग के लिए समय पर परिणाम निकालना अत्यंत कठिन होता जा रहा है | परीक्षा परिणाम की घोषणा में विलंब के कारण विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसके कारण उनमें कुंठा और रोष उत्पन्न होता है तथा आगामी कक्षा /नए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की इच्छा भी दुर्बल होती है। समय पर पुनर्मूल्याँकन और उसका परिणाम, परीक्षा संबंधी RTI एवं अन्य कानूनी--विवाद के तथ्यात्मक और समयबद्ध जवाब देने, परीक्षा परिणाम संबंधी विद्यार्थियों की समस्याओं के त्वरित समाधान आदि कार्य तभी संभव हैं जब उपर्युक्त कार्य प्रोफेशनल तरीके से संपन्न किया जाए। उपर्युक्त कार्यों के लिए कुशल और दक्ष कार्मिकों की पर्याप्त संख्या में आवश्यकता है जबकि विद्दमान परिस्थितियों में, जहाँ कर्मचारियों की नियमित सेवानिवृति हो रही हो और नयी भर्ती का अभाव हो, वहाँ असंभव सा प्रतीत होता है। कार्मिकों की समस्याओं से जूझते राजस्थान के अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा से जुड़े उक्त कार्य ही नहीं अपितु प्रवेश का कार्य भी आउटसोर्स किया जा रहा है और सफल रूप से ये कार्य संपन्न किये जा रहे हैं। उपरोक्त कार्य पर अनुमानित लागत लगभग 40 लाख रुपए प्रति वर्ष (जून एवं दिसंबर के सत्रांत परीक्षाओं के लिए) आना संभावित है जिसकी क्षतिपूर्ति हेतु सब विद्यार्थियों से लिए जाने वाले परीक्षा शुल्क में मामूली वृद्धि (लगभग रू 20/– प्रति प्रश्न पत्र) किया जाना प्रस्तावित है। अतः परीक्षा केन्द्रों से मुख्यालय पर प्राप्त होने वाली उत्तर पुस्तिकाओं का व्यवस्थित संधारण, मूल्याँकन और पुनर्मूल्याँकन हेतु विषय–वार छटनी, कोडिंग और डी–कोडिंग कार्य को आउटसोर्स करने की सैद्धांतिक स्वीकृति वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उक्त संबंध में नियंत्रक वित्त द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक कार्मिकों के 301 पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध वर्तमान में 172 कार्मिक कार्यरत है तथा प्रतिमाह 3–4 कार्मिक सेवानिवृत हो रहे है। 2025 तक अधिकांश कार्मिक सेवानिवृत हो जावेंगे। कुलसचिव महोदय ने सुझाव दिया कि चूँकि परीक्षा शुल्क अंतिम बार लगभग 10 वर्ष पूर्व 2014 में बढाया गया अतः 20/–रूपये प्रति प्रश्नपत्र के स्थान पर 50/– रूपये प्रति प्रश्नपत्र किया जाना उचित होगा ताकि परीक्षा व सम्बद्ध गतिविधियों पर होने वाले व्यय का अतिरिक्त भार विश्विद्यालय पर नहीं आवे। चर्चा उपरान्त परीक्षा शुल्क में 50/– रूपये प्रति प्रश्नपत्र की वृद्धि पर सहमति के साथ उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

नियंत्रक,वित्त एवं
सचिव वित्त समिति